समक्षः न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर

निगरानी क्र. ..../2018

निगरानी-6082/2018/शिवपुरी/भू.रा.

रामरतन रघुवंशी पुत्र स्व. श्री बलभद्र सिंह रघुवंशी, निवासी–ग्राम रिजौदा तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र.

..............आवेदक / निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. 12.10.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.10.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

–विरूद्ध–

सुरेश सिंह पुत्र स्व. श्री बलभद्र सिह रघुवंशी, निवासी–ग्राम रिजौदा तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र.

............अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 04.10.2018 जो प्र.क्र.748/2016–17 अपील में अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि, तहसील कोलारस के ग्राम देहरदा सड़क में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 104/1, 118/1, 142/मिन–2, 226/मिन–2, 457/मिन–2, 485/1, 499/मिन–2, 532/मिन–2, 549/मिन–2, 599/मिन–2 रकवा क्रमशः 0.93 है., 0.46 है., 0.86 है., 0.14 है., 0.84 है., 0.10 है., 0.06 है., 0.20 है., 0.01 है., 0.16 है., कुल किर्ता 10 कुल रकवा 3.85 है. जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदक तथा अनावेदक के पिता स्व. श्री बलभद्रसिंह पुत्र श्री प्रभूलाल रघुवंशी थे।

2. यह कि, अनावेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109–110 भू–राजस्व संहिता बलभद्र सिंह द्वारा अनावेदक के पक्ष में की गयी वसीयत दिनांक 24.04.2013 के आधार पर नामान्तरण कराने हेतु प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र में आवेदक एवं बलभद्र सिंह के अन्य वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया। तहसील न्यायालय में मृतक बलभद्र सिंह की भूमि पर वसीयत नामे के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही में नामान्तरण नियमों का कोई पालन नहीं किया गया तथा आवेदक को कोई सूचना पत्र व सुनवाई का अवसर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 6082/2018/शिवपुरी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
17.10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द दूतावत उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया है कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 748/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 4.10.18 को आदेश पारित किया गया हैं। लेकिन नवीन संशोधन के कारण यह प्रकरण इस न्यायालय में संचालित नहीं होगा। अतः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण में संलग्न मूल दस्तावेज वापिस किये जावे। 2–आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज ~~प्रस्तुत~~ वापस किये जाने के आदेश दिये जाते है। सदस्य	